

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बयालीस'

[27/3/2018] परिशिष्ट

प्रश्नसं. क्र. 3343 (अतारांकित)

सदन में उत्तर देने की दिनांक 27.03.2018

सदस्य मान.श्री डॉ.रामकिशोर दोगने

अवन्ति मिल वर्कर्स इन्डस्टीयल कोआपरेटिव सोसायटी सनावद

उपविधि क्रमांक-5, (9) क -

'क' वर्ग सदस्य जिनमें वे व्यक्ति शामिल होंगे जो सोसायटी द्वारा संचालित मिल/उद्योग में कार्यरत रहने के साथ-साथ मिल/उद्योग के निरन्तर संचालन हेतु धन राशि वेष्टित करने के इच्छुक हो तथा आर्थिक/वित्तीय भार उठाने एवं हानि/जोखिम वहन करने को सहमत हो जो वर्ष 2001 में अवन्ति सूत मिल बंद होने के पूर्व कार्यरत रहे हो अथवा जिनके द्वारा पुनर्वास पश्चात, कम से कम एक वर्ष में 180 कार्यदिवस सोसायटी में कार्य किया हो ऐसे सदस्य को कम से कम 20 अंश क्रय करना अनिवार्य होगा.

mcp
अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग

(-3)
अपर आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.